(44)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2015 शिवपुरी निगरानी 280-III-15

सुप्रभात गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित शिवपुरी द्वाराः अध्यक्ष राहुल विरथरे पुत्र श्री निवास शर्मा, निवासी–राजपुरा रोड, पुरानी शिवपुरी

..... निगरानीकर्ता

बनाम

कुसुम जैन पत्नी रतनेश जैन आदि

निवासीगण–शिवपुरी भूमि राजपुरा

..... अनावेदकगण

श्री कुंवर सिंह कुशवाह, अधि॰
द्वारा आज दि. 4-2-15 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 4-2-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार परगना शिवपुरी के प्र. क्र. 27/14-15/अ-6 कुसुम जैन बनाम सुप्रभात गृह निर्माण आदेश दिनांक 17.12.14 को पारित।

श्रीमान् जी,

निगरानी के आधार निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक को लाभ पहुंचाने हेतु अनावेदक का जो आवेदनपत्र के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर बिना ठोस आधार के पूर्व तहसीलदार के आदेश दिनांक 19-06-2011 को एस.डी.ओ. के यहां दिनांक 24-12-2014 में भेजकर पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त करके तहसीलदार ने जो अवैधानिक कार्यवाही प्रारंभ की वह निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह कि, अनावेदक ने पूर्व तहसीलदार का आदेश दिनांक 19.06.2011 के खिलाफ जो आवेदनपत्र देकर वर्तमान तहसीलदार के यहां प्रकरण चालू करा जो कार्यवाही प्रारंभ की वह अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. यह कि, अनावेदक ने पूर्व तहसीलदार के आदेश के खिलाफ अनुविभागीय अधिकारी के यहां अपील करनी थी जिसे अनावेदक नें

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–280–तीन/2015 जिला–शिवपुरी

सुप्रभात गृह निर्माण सहकारी संस्था विरूद्ध कुसुम जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार परगना, जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 27/2014–15/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 17–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 09–09–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	